न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी श्रीमान रजत यादव (आई.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 116/2016

सम्पत कुमार सारडा पुत्र स्व. घनश्याम सारडा जति माहेश्वरी उम्र 60 साल निवासी मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर राज.।

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान। अप्रार्थी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित वकील प्रार्थी:– श्री रामदेव गुर्जर

वकील अप्रार्थी :– श्री पैरोकार सरकार

दिनांक 21.08.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रामदेव गुर्जर ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधि. के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय में एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का पेश किया है जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थीयागण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है परन्तु वाद के निस्तारण में समय लगना स्वभाविक है इसलिए वाद के साथ यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा प्रार्थी के विश्वास पात्र एवं निजी व्यक्ति किशना पुत्र लादू रावत प्रार्थी के पास ही निवास करता था एवं प्रार्थी की ही सेवा चाकरी, करता आ रहा था उक्त आराजी में प्रार्थी द्वारा सार, संभाल करने हेतु उपरोक्त आराजी में ही झोपड़ी बनाकर विश्वास पात्र किशना पुत्र लादू रावत को रख रखा था जिसके नाम से राजस्व रिकोर्ड में सम्वत 2026 से 2047 तक खसरा परिवर्तनशील अर्थात पी–14 की रिपोर्ट प्रार्थी के सार संभाल करने वाले एवं निजी व्यक्ति के नाम से इन्द्राज है। विगत कुछ वर्षों से प्रार्थी का निजी एवं विश्ज्ञवास पात्र व्यक्ति फोत होने के पश्चात प्रार्थी द्वारा ही उपरोक्त आराजी में कृषि कार्य एवं उपयोग उपभोग किया जा रहा है। प्रार्थी उपरोक्त आराजी में निरन्तर एवं आबाद रूप से काबिज काश्त रहने के कारण विधि के तहत (By Operation of Law) प्रार्थी के खातेदारी अधिकार उपरोक्त आराजी में परिपक्व हो चुके है। इस कारण से प्रार्थी खातेदारी उद्देषणा हेतु अलग से वाद श्रीमान् की सेवा में पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा सन् 1978 में अप्रार्थी के समक्ष उपरोक्त आराजी का अपने पक्ष में आवंटन/नियमन करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया परन्तु अप्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार की नियमन / आवंटन की कार्यवाही न करके प्रार्थी के विधिक अधिकारों का कुठाराघात किया गया है। जब कि प्रार्थी उपरोक्त आराजी पर सद्भाविक कृषक की श्रेणी में इंगित है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5 के तहत कृषक है एवं उपरोक्त आराजी पर निरन्तर रूप से कृषकीय कार्य किया व करवाया जा रहा है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी काश्तकार के द्वारा विवादित आराजी पर विगत 30 वर्षों तक लगातार निर्बाध रूप से काचिज काश्त होने के कारण राज्य सरकार द्वारा जारी समय समय पर परिपत्रों व विधायकी द्वारा पारित नियमों, विधियों के तहत उपरोक्त आराजी प्रार्थी के पक्ष में आवंटन या नियमन की जा

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

कती है। उपरोक्त प्रक्रिया प्रार्थी के पक्ष में न होने से प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत उद्घोषणा का अनुतोष माननीय न्यायालय से प्राप्त करने का अधिकारी है एवं उपरोक्त आराजी में अप्रार्थी या अप्रार्थी के अधिनस्थ कर्मचारी एवं अन्य व्यक्ति, संस्था के द्वारा किसी प्रकार की प्रार्थी के उपयोग, उपभोग की आराजी में मदाखलत उत्पन्न करते है तो धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए माननीय न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने में सक्षम है। इस रूह से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष प्रार्थी द्वारा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थी के विश्वास पात्र एवं निजी व्यक्ति (सार संभाल करने वाला) व्यक्ति के नाम से विगत 30–40 वर्षों से लगातार निर्बाध रूप से काबिज रहने के कारण धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत सरकारी लगान प्रार्थी द्वारा अदा करते आ रहे है। प्रार्थी उपरोक्त वर्णित आराजी में अथाह आर्थिक व शारीरिक परिश्रम करके उपरोक्त आराजी को उपजाउ योग्य तैयार करके चौतरफा डोल करके तारबन्दी करके उपजाउ मिट्टी डाल कर कृषि योग्य बना कर कृषि कार्य किया जा रहा है एवं करवाया जा रहा है। प्रार्थी उपरोक्त वर्णित आराजी में विगत 30–40 वर्षों से निरन्तर अबाध रूप से काबिज रहने से प्रार्थी धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारी अधिकार परिपक्व हो चुके है। संशोधित धारा 15 ए.ए.ए. में विधायिक द्वारा संशोधित किया गया कि अजमेर जिले में काश्तकारों के रिकॉर्ड में हुई विंसगतियों को सुधारा जा सके इस कारण से प्रार्थी के पक्ष में प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी 4 बीघा 06 बिस्वा की खातेदारी प्रदान कर अधिकार अभिलेख में इन्द्राज करवाने का प्रार्थी कानूनन् अधिकारी है। राज्य सरकार द्वारा परिपत्र राजस्थान सरकार राजस्व गुप–6 विभाग क्रमांकः/प.06 (39) राज. –6/2001/6 जथपुर दिनांक 07.06.2003 को श्रीमान् बी.एस. मीणा साहब शासन उप सचिव द्वारा परिपत्र जारी किया गया है कि यदि सरकारी भूमि पर विगत दो वर्षों का कब्जा रिकोर्ड से प्रमाणित होना चाहिए इसके स्थान पर यदि कोई पिछले दो वर्षों के बेदखली के नोटिस भी प्रस्तुत कर देता है तो उसे मान लिया जावे। जब कि प्रार्थी विगत 30–40 वर्षों से उपरोक्त आराजी में काबिज काश्त होने से प्रार्थी के उपरोक्त आराजी में खातेदारी अधिकार परिपक्व हो चुके है। राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक प.–9 (6) राज.–5/2000/16 जयपुर दिनांक 16.10.2001 में अधिनियम पारित किया गया है कि जो विगत 10 वर्षों से सिवायचक, चरागाह भूमि में काबिज काश्त होने का व लगातार अतिक्रमण करने के कारण नियमन के अधिकार प्रार्थी को प्राप्त हैं। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि राज्य सरकार द्वारा पारित समय समय पर परिपत्रों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून की परिभाषा में इंगित किया गया है। राज्य सरकार का समय समय पर परिपत्र जारी करने का उद्देश्य जटिल विधि के सिद्धान्तों को सरलीकरण करके आम काश्तकारों को लाभ पहुंचाने की मंशा है जिससे आम काश्तकारों को आजीविका के स्त्रोत प्रदान करना है। इस प्रकार प्रार्थी सद्भाविक रूप से श्रीसरकार से अपना अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी उपरोक्त वर्णित आराजी में विगत 30–40 वर्षों से लगातार निर्वाध रूप से काबिज काश्त है अप्रार्थी द्वारा अपने अधिनस्थ कर्मचारियों को निर्देशित करके प्रार्थी के उपयोग उपभोग एवं कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल करने पर आमादा है एवं उक्त आराजी को अन्य व्यक्ति, संस्था के नाम हस्तान्तरण करने पर आमादा है। इसलिए अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी से प्रार्थी को बेदखल नहीं करे एवं कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मदाखलत, व्यवधान, रूकावट उत्पन्न नहीं करने, एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी को अन्य व्यक्ति, संस्था के नाम दर्ज नहीं करने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा तामूल वाद फैसला बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी फरमाई जावे। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के तीनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध है चूंकि प्रार्थना पत्र में

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

त आराजी प्रार्थी कब्जे काश्त शुदा आराजी है जिस पर प्रार्थी का ही कब्जा काश्त निरन्तर निर्वाध रूप ...ता आ रहा है। प्रार्थी की प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से सम्पूर्ण श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र पर उचित न्याय शुल्क चस्पा है। श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग की आराजी ग्राम मदनगंज पटवार क्षेत्र मदनगंज तहसील किशनगढ़ के पुराने खसरा संख्या 111 जिसके नवीन खसरा नम्बर 168 रकबा 4 बीघा 06 बिस्वा भूमि से प्रार्थी को को बेदखल नहीं करे, प्रार्थी के कृषकीय कार्य, उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित नहीं करने, अन्य किसी भी व्यक्ति, संस्था के नाम इन्द्राज नहीं करने हेतु अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा तामूल वाद फैसला पाबन्द फरमाई जावे एवं अप्रार्थी रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 04.08.2016 को दर्ज किया तथा नोटिस अप्रार्थी को वास्ते जाहिर करने की वजह बाबत जारी किये गये। तहसीलदार किशनगढ द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम किशनगढ बी के खसरा संख्या 168 की भूमि वर्तमान में नगर परिषद के नाम दर्ज है तथा प्रकरण में राजहित प्रभावित होता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

दिनांक 19.08.2025 को हमारे द्वारा वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई एवं प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। हमारे द्वारा धारा 212 राज.का.अधि. के प्रार्थना पत्र का तीन बिन्दुओं पर विवेचन किया गया।

प्रथम दृष्टया प्रकरणः— वादअधीन भूमि में प्रार्थी वर्तमान में खातेदार नहीं है ना ही ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थी के द्वारा पेश किया गया है जिससे वादअधीन भूमि में उसका हक जाहिर हो, जबकि वादअधीन भूमि राजकीय भूमि (नगर परिषद के नाम) है जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है।

सुविधा का संतुलनः— वादअधीन भूमि में प्रार्थी की खातेदारी दर्ज नहीं है, वादअधीन भूमि वर्तमान में राजकीय भूमि (नगर परिषद के नाम) है जिससे सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नही है।

अपूरणीय क्षतिः— अप्रार्थीगण वादअधीन भूमि में खातेदार नहीं है वादअधीन भूमि राजकीय भूमि (नगर परिषद के नाम) है जो कि अप्रार्थी के नाम दर्ज है, अपूरणिय क्षति अप्रार्थी का कारित है।

प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणिय क्षति को सिद्ध करने में असफल रहें है अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का. अधि. का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। अन्य बिन्दु वाद विचारण के दौरान तय किये जायेगें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 21.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

रजत यादव (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)